



# Haryana Government Gaze

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक प्रथम अप्रैल, 2003  
( 11 चैत्र, 1925 शक)

### विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग-II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग-III	प्रत्यायोजित विधान अधिसूचना संख्या का० आ० 50/ह० अ० 6/2003/धा० 7/ 2003, दिनांक प्रथम अप्रैल, 2003, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय पर किसी वैट व्यवहारी द्वारा भुगतान योग्य कर अप्रैल, 2003, के प्रथम दिन से बारह प्रतिशत की दर पर संगणित करने बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	255—262
भाग-IV	शुद्धि पंथियां, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं	

1	2
31.	ग्लेजड वेयर, चाइना वेयर, क्राकरी, शीशे की सीटे, शीशे की बोतले, धूप के चश्मे तथा अन्य शीशे का सामान किन्तु जिसमें काँच की चूड़ियां तथा आप्टीकल शीशे शामिल नहीं हैं
32.	फोम के कुशन तथा गद्दे जिसमें फोम शीट, तकिये तथा फोम रबड़ से बनी अन्य वस्तुएं तथा प्लास्टिक फोम या अन्य सिन्थेटिक फोम शामिल हैं
33.	पूर्ण रूप से अथवा मुख्यतः स्टेनलैस स्टील से बनी वस्तुएं किन्तु इसमें बर्तन तथा रसोई का सामान शामिल नहीं है
34.	पेरामबुलेटरज
35.	फर तथा वे पदार्थ जो व्यक्तिगत या घरेलू उपयोग हेतु फरों से बनाये जाते हैं
36.	सभी प्रकार के ग्लेजड तथा विटरम टाईलें, मोसाईक तथा सैरामिक टाईलें
37.	सभी प्रकार का लैमिनेटिड बोर्ड तथा लैमिनेटिड शीट्स जैसे कि सनमाईका, फोरमिका इत्यादि
38.	ग्रेनाईट तथा इसकी टाईलें, मारबल तथा इसकी टाईलें चिप्स सहित
39.	सभी प्रकार के शस्त्र सहित राईफलें तथा एम्बुनिशन
40.	सीमेन्ट
41.	अलमीरा तथा सेफ
42.	सभी प्रकार के मोटर वाहन जिसमें ट्रैक्टर के सिवाय मोटर साईकल, मोटर साईकल कम्बिनेशन, मोटर स्कूटर, मोटोरेंटस, दो पहिया वाहन (ऑटो) तिपहिया वाहन (ऑटो), सड़क पर चलने वाले कन्ट्रेप्शन, सभी मोटर वाहनो तथा अन्य सड़क पर चलने वाले कन्ट्रेप्शन के वैसिज, इसमें कवर होते हैं के सिवाए
43.	लिफ्ट्स तथा एलीवेटर्स
44.	वैदर प्रूफिंग कम्पाऊंडस
45.	पटाखे, रंगीन माचिसें तथा बारूद सहित
46.	सुरक्षित खाने की चीजें
47.	टेलीप्रिंटर तथा फैक्स मशीनें
48.	इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौने तथा गेमस
49.	वाद्य यन्त्र
50.	सिन्थेटिक जैम्स
51.	शीघ्र जलने वाला खनिज तेल विशेष (नापथा)

1	2
52.	स्पर्क प्लग
53.	रबड़ का सामान लेकिन इसमें फुटवीयर शामिल नहीं है
54.	चिपकाने वाला (एडहेसिव)
55.	आक्सीजन तथा गैसीज तरल पेट्रोलियम (एलपीजी) को छोड़कर
56.	विमान विद्या, जिसमें विमान, ग्राउंड उपस्कर, इसके उपसाधन तथा पुर्जे शामिल हैं
57.	ए0सी0एस0आर0 वाहक
58.	चन्दन की लकड़ी तथा इसका तेल
59.	प्लार्डवुड, प्लार्डबोर्ड, मध्यम घनत्व प्लार्डबोर्ड तथा पारटीकल्स बोर्ड्स
60.	पका हुआ भोजन
61.	मशीन चलित स्टोन क्रशर से उत्पादित पदार्थ अर्थात् विभिन्न आकार के स्टोन तथा स्टोन डस्ट
62.	खनिज
63.	वातित जल तथा मृदु पेय
64.	मोलैसिस
65.	रेक्टिफाईड स्पिरिट
66.	नारकोटिक्स

चन्द्र सिंह,  
वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

1	2
13.	ग्रामाफोन, उनके अवयव मूत पुर्जे तथा डिस्कस
14.	विद्युत यन्त्र, बिजली के लैम्प तथा बल्ब (तापीय लैम्प), फ्लोरोसेन्ट ट्यूब सहित उनके पुर्जे तथा उपसाधन परन्तु विद्युत मोटरें, मोटर स्टार्टर तथा मोनोब्लॉक पम्पिंग सेट्स को छोड़कर
15.	सिनेमा ऑटोग्राफिक उपस्कर, कैमरे, प्रक्षेपकों तथा ध्वनि रिकार्ड करने तथा रिपरोडियूस करने वाले उपस्कर, लैन्स, फिल्में, पुर्जे तथा उपसाधन जो उनके साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, सिनेमा कार्बन सहित
16.	फोटो खींचने वाले तथा अन्य कैमरे तथा वर्णक तथा लैन्स, फिल्में, कागज तथा कपड़ा तथा अन्य पुर्जे तथा उपसाधन जो उनके साथ प्रयोग में लाए जाने के लिए अपेक्षित हैं
17.	श्रुतवाचक (डिक्टाफोन) तथा अन्य सभी प्रकार के उपकरण तथा उनके पुर्जे
18.	दूरबीन, दूरदर्शक तथा दूरदर्शी शीशे तथा सहायक पुर्जे, अतिरिक्त पुर्जे तथा इनके उपसाधन
19.	विद्युत उत्पादक सेट तथा ट्रांसफार्मर्स
20.	लार्डलाईट तथा उनके पुर्जे तथा उपसाधन
21.	सभी प्रकार का फर्नीचर
22.	सिल्यूलाईड, हार्ड लाईट का सामान तथा उसी प्रकार के यन्त्रों से बना सामान, प्लास्टिक का सामान, पोलो रिनाईल क्लोराईड का सामान, हार्ड डनसिटे ग्लास एथिलिन ग्लास बैग्स तथा प्लास्टिक के फुटवीयर तथा प्लास्टिक दाना के सिवाय
23.	सभी प्रकार की घड़ियां, टाईम पीस वाचिज तथा उनके पुर्जे
24.	सिगरेट के डिब्बे तथा लाईटरस
25.	कासमैटिक्स, परफ्यूमरी तथा प्रसाधन का सामान, साबुन, शैम्पू तथा हेयर ऑयल शामिल हैं किन्तु जिसमें दुध ब्रश, दुध पेस्ट, दुध पाऊंडर, काजल तथा कुमकुम शामिल नहीं हैं
26.	सभी प्रकार के कारपेट्स
27.	टेबल कटलरी जैसे कि छुरियां, कांटे तथा चम्मच
28.	सभी प्रकार के निर्वात फ्लास्क जिसमें थर्मस, थर्मिक जग, आईस बक्केट्स या बाक्सिज, अरन्ज तथा मोजन को ताजा गरम या ठण्डा रखने वाले घरेलू पात्र तथा इसके रिफिल शामिल हैं
29.	सफाई (सैनेटरी) का सामान तथा जड़नार मल-निकास पाईप शामिल हैं
30.	चमड़े का सामान किन्तु जूते शामिल नहीं हैं

### भाग III

#### हरियाणा सरकार

#### आबकारी तथा करधान विभाग

#### अधिसूचना

दिनांक प्रथम अप्रैल, 2003

संख्या का० आ० 50/ह० अ० 8/2003/धा० 7/2003.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 7 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (iv) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निदेश देते हैं कि नीचे विनिर्दिष्ट माल के विक्रय पर किसी वैट व्यवहारी द्वारा भुगतान योग्य कर अप्रैल, 2003 के प्रथम दिन से बारह प्रतिशत की दर पर संगणित किया जाएगा।

क्रम संख्या	माल का विवरण
1	2
1.	प्रशीतक, वातानुकूलक, वातानुकूलन यन्त्र तथा अन्य ठण्डा करने वाले यन्त्र तथा यन्त्र जिसमें उनके अवयव भूत, रूम कूलर तथा वाटर कूलर तथा उनके अवयव भूत पुर्जे शामिल हैं
2.	सभी प्रकार के खाना बनाने वाले यन्त्र, कुकिंग रेंज, माईक्रोवेव और ग्रील्ज
3.	गर्द को घूसकर साफ करने वाले यन्त्र तथा डिशवाशर
4.	टेलीविजन सेट्स और घरेलू सिनेमा तथा उनके पुर्जे और उनके उपसाधन
5.	कपड़े धोने की मशीन
6.	रूम एयर कन्वेक्टर, एयर सरक्यूलेटर तथा उनके पुर्जे
7.	ट्रांसमिशन टावर
8.	बेतार के अधिग्रहण उपकरण तथा यन्त्र, पुर्जे तथा इनके उपसाधन
9.	विडियो कैसेट रिकार्डर, विडियो कैसेट प्लेयर, ऑडियो कैसेट प्लेयर, ऑडियो कैसेट रिकार्डर, विडियो सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, ऑडियो सीडी प्लेयर, वीडियो सीडी, ऑडियो सीडी, विडियो टेप्स तथा कैसेट, ऑडियो टेप्स तथा कैसेट्स
10.	रेडियो तथा ट्रांजिस्टर, रेडियो ग्रामोफोन, विद्युत के पुटक संचायक वर्धक तथा पुर्जे तथा इनके उपसाधन
11.	आवाज पहुंचाने वाले यन्त्र, दूरभाष तथा लाऊड स्पीकर उनके पुर्जे सहित
12.	फोटोकॉपीयर, डुप्लीकेटिंग मशीन तथा इनके पुर्जे

[ Authorised English Translation ]

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 1st April, 2003

**No. S. O. 50/H. A. 6/2003/S. 7/2003.**—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (a) of sub-section (1) of section 7 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003), and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby directs that tax payable by a VAT dealer on sale of goods specified below shall be calculated at the rate of twelve per cent with effect from the first day of April, 2003.

Sr. No.	Description of Goods
1	2
1.	Refrigerators, air conditioners, air conditioning plants, other cooling appliances and apparatus including room coolers and water coolers and component parts thereof.
2.	All kinds of cooking appliances, cooking ranges, microwave and grills.
3.	Vacuum cleaners, electrical and electronic air purifiers and dish washers.
4.	Television sets and home-theaters, their parts and accessories.
5.	Washing machines.
6.	Room air convectors, air circulators and parts thereof.
7.	Transmission towers.
8.	Wireless reception instruments and apparatus, parts and accessories thereof.
9.	Video cassette recorder, video cassette player, audio cassette player, audio cassette recorder, video CD player, DVD player, audio CD player, video CD, audio CD, video tapes and cassettes, audio tapes and cassettes.
10.	Radio and transistors, radio gramophones, electrical valves, accumulators amplifiers and parts and accessories thereof.
11.	Sound transmitting equipment including telephones and loudspeakers and parts thereof.
12.	Photocopiers and duplicating machines and parts thereof.

1	2
13.	Gramophones, component parts thereof and discs.
14.	Electrical appliances including electric lamps and bulbs (incandescent lamp), fluorescent tube their parts and accessories but excluding electric motors, motor starters and mono-block pumping sets.
15.	Cinematographic equipment including cameras, projectors and sound recording and reproducing equipment, lenses, films and parts and accessories required for use therewith including cinema carbons.
16.	Photographic and other cameras and enlargers, lenses, films, papers and clothes and other parts and accessories required for use therewith.
17.	Dictaphone and other similar apparatus for recording sound and parts thereof.
18.	Binoculars, telescopes and opera glasses and component parts, spare parts and accessories thereof.
19.	Generating sets and transformers.
20.	Typewriters and their parts and accessories.
21.	All types of furniture.
22.	Celluloid, bakelite goods and goods of similar substances, plastic goods, Poly Vinyl Chloride goods except High Density Poly Ethylene woven bags and footwear of plastic and plastic dana.
23.	All type of clocks, time pieces, watches and parts thereof.
24.	Cigarette cases and lighters.
25.	Cosmetics, perfumery and toilet goods including soaps, shampoos and hair oils but not including tooth brush, toothpaste, tooth powder, kajal and kum-kum.
26.	Carpets of all kinds.
27.	Table cutlery <i>i.e.</i> Knives, forks and spoons.
28.	Vacuum flasks of all kinds including thermos, thermic jugs, ice buckets or boxes, urns and domestic receptacles to keep food or beverages hot or cold and refills thereof.
29.	Sanitary goods and fittings including sewerage pipes.
30.	Leather goods but not including footwear.
31.	Glazedware, chinaware, crockery, glass sheets, glass bottles, sun glasses and other glass wares but not including glass bangles and optical glass.

1	2
32.	Cushion and mattresses of foam, including foam sheets, pillows and other articles made from foam rubber or plastic foam or other synthetic foam.
33.	Articles made wholly or principally of stainless steel but not including utensils and kitchen ware.
34.	Perambulators.
35.	Furs and articles of personal or domestic use made from furs.
36.	All types of glazed and vitreous tiles, mosaic tiles and ceramic tiles.
37.	All types of laminated board and laminated sheets such as Sunmica, Formica etc.
38.	Granite and its tiles, marble and its tiles including chips.
39.	All types of arms including rifles and ammunition.
40.	Cement.
41.	Almirahs and safes.
42.	All types of motor vehicles excluding tractors but including motor cycles, motor cycle combinations, motor scooters, motoretts, two-wheeler (auto), three wheeler(auto), other road-worthy contraptions, chassis of all motor vehicles and road-worthy contraptions covered herein.
43.	Lifts and elevators.
44.	Weather proofing compounds.
45.	Fire works including coloured matches and explosives.
46.	Preserved food articles.
47.	Teleprinters and fax machines.
48.	Electronic toys and games.
49.	Musical instruments.
50.	Synthetic gems.
51.	Naphtha.
52.	Spark plugs.
53.	Rubber goods but not including footwear.
54.	Adhesives.
55.	Oxygen and gases except liquified petroleum gas (LPG).



1	2
56.	Aeronautics, including aeroplanes, ground equipments, their accessories and parts.
57.	ACSR conductors.
58.	Sandal wood and oil thereof.
59.	Plywood, plyboard, medium density fibre board and particle boards.
60.	Cooked food.
61.	Products of mechanically run stone crushers i.e. stone of various sizes and stone dust.
62.	Minerals.
63.	Aerated water and Soft-Drinks.
64.	Molasses.
65.	Rectified spirit.
66.	Narcotics.

CHANDER SINGH,  
Financial Commissioner and Principal  
Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.